न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 47 / 2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 187

1. कुलदीप सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 9 बीबी रत्तेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार श्रीविजयनगर

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 28.11.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाने के आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक / सूकाअ / 2024 / 882 दिनांक 27.11.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 06.09.2024 को प्राप्त हुआ था प्रार्थना पत्र के संबंध मं कार्यालय के पत्रांक 309 दिनाक 01.10.2024 के द्वारा प्रार्थी को सचित कर दिया गया था। अपीलार्थी के द्वारा तहसीलदार श्रीविजयनगर के उक्त पत्रांक / 309 दिनांक 01.10.2024 प्राप्त नहीं होने का कथन किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी राज्य लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भू प्रबन्ध कार्यालय में रखे रजि. भू प्रबन्ध हेतु चक 3 जीबी ए में मु.नं. बदले जाने वाले रजि. जिसमे चक 3 जीबी ए के पुराने मु.नं. 57 बदल कर नये मुरब्बा नं. 44 मय नाम दर्ज किये गये है की प्रमाणित प्रतिलिपि व चक 3 जीबी ए में नये मु.नं. 44 पत्थर सं. 116 / 376 का भाग सिंह पुत्र निक्का सिंह से इंतकाल सोहन सिंह मोहन सिंह आदि ने नाम होने की प्र. प्रति सूचनाएं उपलब्ध करवाने की अपेक्षा की गयी थी। प्रत्यर्थी द्वारा प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत छायाप्रति पत्रांक 309 दिनांक 01.10.2024 का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी के द्वारा अपीलार्थी को आवेदन पत्र के प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया कि चाही गई सूचना अस्पष्ट व अधूरी है चाहे गये दस्तावेजों का सन् दिनांक आदि का अंकन नहीं होने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है। कार्यालय दिवस कार्यालय समय में उपस्थित होकर दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते है।

अपीलार्थी के द्वारा कथन किया गया है कि प्रत्यर्थी द्वारा उन्हें प्रेषित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में प्रत्यर्थी को अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाए जाने हेतु निर्देशित किया जाना उचित है। परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक को वांछित सूचनाओं से संबंधित विशिष्टियां अपने आवेदन पत्र में अंकित करना अपेक्षित है। प्रत्यर्थी तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा अपीलार्थी को कार्यालय दिवस कार्यालय समय में उपस्थित होकर दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु लिखा है। ऐसे में अपीलार्थी को हिदायत दी जाती है कि वे लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार श्रीविजयनगर को वांछित सूचनाओं से संबंधित विशिष्टियां उपलब्ध करावें ताकि प्रत्यर्थी द्वारा उन्हें वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा सके। अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार श्रीविजयनगर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है और प्रकरण तहसीलदार श्रीविजयनगर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना है कि अपीलार्थी के द्वारा वांछित सूचना के संबंध में विशिष्टियां उपलब्ध करवाने पर उन्हें सात दिवस के भीतर वांछित सूचना उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ / पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)